**Publication Name:** Haribhoomi
**Publication Date:** 05/12/2025
**Edition:** Delhi
**Page No:** 7
**CCM:** 1032.05

## Cooperative societies will make every necessary effort to empower farmers

# सहकारी संस्थाएं किसानों को सशक्त बनाने करेंगी सभी आवश्यक प्रयास

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाना, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है। आगामी वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने और फसल चक्र के अनुसार उन्हें सुगमता से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग कृषि विपणन सहकारी समितियां को मजबूत बनाने बनाने पर विशेष ध्यान दे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने अपेक्स बैंक की 4 करोड़ 27 लाख 4 हजार 190 रुपए अंश पूंजी का लाभांश चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। बैंक के प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता इस अवसर पर उपस्थित थे। बैठक में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण, खाद और बीज वितरण, कृषि उपज के समर्थन मूल्य पर उपार्जन, उचित मूल्य दुकानों के संचालन और सहकार से समृद्धि के अतहत संचालित गतिविधियों के तहत पिछले 2 वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों, नवाचारों का प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में आगामी 3 वर्ष की कार्य योजना पर भी विचार विमर्श हुआ।

**वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा**

**पंचायत स्तर पर पैक्स स्थापित किए जाएं, पैक्स के डिफॉल्टर किसानों को लाया जाएगा मुख्य धारा में**

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा

बैठक में अधिकारियों से जानकारी लेते मुख्यमंत्री डॉ. यादव और सहकारिता मंत्री सारंग।

### पंचायत स्तर पर पैक्स स्थापित किए जाएं: डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समीक्षा बैठक में कहा कि पंचायत स्तर पर पैक्स स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों का प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटराईजेशन किया जाए, ताकि किसानों को सुगमता और पारदर्शिता के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने समिति के पदाधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष संपत्ति का वार्षिक विवरण आवश्यक रूप से देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

**Publication Name:** Haribhoomi
**Publication Date:** 05/12/2025
**Edition:** Delhi
**Page No:** 7
**CCM:** 606.72

## 50-50 Lakh Available to Each for Strengthening 15 Weak District Cooperative Banks

# 15 कमजोर जिला सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रत्येक को 50-50 लाख उपलब्ध

कुल 4460 कॉमन सर्विस सेंटर, 4518 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र, 63 जन औषधि केन्द्र, 59 जल कर वसूली केन्द्र, दो एग्री ड्रोन और 25 इफ्को आउटलेट की व्यवस्था की गई है। अब तक पैक्स को 4060 तथा डेयरी समिति को एक माइक्रो एटीएम वितरित हुआ। सहकारी कानूनों में जनसामान्य की सुविधा की दृष्टि से संशोधन किए गए हैं। सहकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सहकारी समितियों को व्यवसाय के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। किसानों से पूसा बासमती धान क्रय करने के लिए किसानों का आर्थिक लाभ सुविधा सुनिश्चित करते हुए मैजिस्टिक प्रायवेट लिमिटेड से अनुबंध किया गया है।

## विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियां

15 कमजोर जिला सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रत्येक जिला बैंक को 50-50 लाख रुपए की अंशपूंजी शासन की ओर से उपलब्ध कराई गई है। मप्र एम-पैक्स के कम्प्यूटराईजेशन और ऑनलाईन ऑडिट में देश में सबसे आगे है। किसानों को उनके खातों के संबंध में जानकारी एसएमएस से उपलब्ध कराई जा रही है। पैक्स के सोसाइटी मैनेजर के लिए कैडर व्यवस्था लागू की गई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मापदंड के अनुरूप सहकारी बैंकों में प्रबंधकों और बैंकिंग सहायकों की भर्ती तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

## पराली की समस्या के निराकरण की दिशा में भी कार्य

पराली की समस्या के निराकरण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। बीज संघ ने बीज व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए एमपी चीता ब्रांड लांच किया है। नवीन एम पैक्स, डेयरी सहकारी समिति और मत्स्य सहकारी समिति के तहत कुल 1,601 समितियों का गठन किया गया है। मप्र ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अभिनव पहल सीपीपीपी के तहत 19 एमओयू का निष्पादन किया गया। कंपनियों से 10,000 से अधिक विस्थापित लोगों की 350 सहकारी समितियां गठित कराकर विस्थापितों को सुरक्षा गार्ड, माली, श्रमिक जैसे कार्यों के लिए रोजगार दिया गया।

**Publication Name:** Business Standard
**Publication Date:** 05/12/2025
**Edition:** Delhi
**Page No:** 9
**CCM:** 95.63

# RBI's final norms grant more autonomy to co-op banks

**ABHIJIT LELE**
Mumbai, 4 December

The Reserve Bank of India on Thursday issued revised norms for cooperative banks to help them expand credit outreach, leverage technology-driven solutions, and support localised development priorities.

These revisions strike a balanced approach, empowering cooperative banks with enhanced operational autonomy while embedding robust safeguards, RBI said in a statement. The banking regulator had from time to time issued instructions to these banks like urban cooperative banks (UCBs), state cooperative banks (StCBs) and district central cooperative banks (DCCBs), on topics such as the location of a bank's business, how to change its name, and other scheduling matters.

On July 28, the RBI placed draft Master Direction (MD) on Business Authorization for Co-operative Banks (Directions), 2025 to harmonise the instructions and guidelines and consolidate them in one place. The feedback received from banks and other stakeholders has been examined and the consequent modifications have been suitably incorporated in the final directions, it added.